श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल राजस्थान का उद्‌बोधन

संविधान दिवस समारोह

दिनांक – 26 नवम्बर, 2019 समय प्रात : 11 बजे

देश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 1949 में इसी दिन देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी, 1950 को इसे अमल में लाया गया था।

29 अगस्त, 1947 को देश के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की नियुक्ति हुई थी। दुनिया के सभी संविधानों को बारीकी से परखने के बाद संविधान को बनाया गया। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान का निर्माण पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया।

भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें 12 अनुसूचियां शामिल है। यह हस्तलिखित संविधान है, जिसमें 48 अनुच्छेद हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लग गया था।

संविधान का मसौदा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित था। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, फिर दो दिन बाद इसे लागू किया गया था।

भारत का संविधान देश का मूल विधान है। इसमें हमारी सभ्यता के आदर्शों और मूल्यों के साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम से उपजी आस्थाएं और आकांक्षाएं भी सम्मिलित हैं। संविधान हमारे गणराज्य के संस्थापकों के सामूहिक विवेक का मूर्त रूप है। यह मूल रूप से भारतवासियों की सम्प्रभु इच्छा की अभिव्यक्ति है।

भारत के संविधान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भारत शासन अधिनियम, 1935 है। इस अधिनियम में देश को लिखित संविधान देने का उपबंध किया गया था।

भारत शासन अधिनियम, 1935 के बाद भी भारत में केन्द्रीय सरकार की स्थिति कुल मिलाकर वही बनी रही, जो

1919 के अधिनियम के अनुसार थी, क्योकि 1935 के अधिनियम के संघीय उपबंध को कभी लागू ही नही किया गया। केवल प्रांतों में स्वायतत्ता की शुरूआत किये जाने के कारण पद्धतियों और प्रक्रियाओं में यथा आवश्यक परिवर्तन किये गए।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। तदुपरांत सत्ता के हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत के लिए संवैधानिक ढ़ांचे का उपबंध करने के लिए अनेक प्रयास किये गए। इन्ही प्रयासों के भाग के रूप में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत में एक ऐसे तंत्र की स्थापना में वॉयसराय की मदद करना था, जिससे भारतीय अपना संविधान स्वयं तैयार कर सकें। स्वतंत्रता के मूल मुद्दों और बाहरी हस्तक्षेप के बिना भावी संविधान तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि संविधान सभा के गठन पर जोर दिया गया।

कैबिनेट मिशन ने 16 मई, 1946 को भारत के भावी संविधान को तैयार करने लिए सिद्धांत और प्रक्रिया निर्धारित

करते हुए अपनी योजना प्रस्तुत की। अविलम्ब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन के संबंध में इस योजना में अनेक सुझाव दिए गए ।

प्रत्येक प्रांत के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुल सीटों का आवंटन करना, जो वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों के लिए दस लाख अथवा उसके आस–पास की संख्या के लिए एक प्रतिनिधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के अनुपालन में मुख्य समुदायों के बीच सीटों के प्रांतीय आवंटन का विभाजन करना और इस बात का उपबंध करना कि प्रांत में प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित प्रतिनिधियों का विधान सभा के लिए निर्वाचन उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इन सुझावों पर संविधान तैयार हुआ। जिस पर हमारा लोकतंत्र चल रहा हैं।

संविधान की प्रस्तावना में संविधान का मूल उल्लेख है–

हम, भारत के लोग, भारत का एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखण्डता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है:

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

4. देश की रक्षा करे।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।

6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे.

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।

10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।

11. माता–पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन)।

संविधान दिवस पर हमें मौलिक कर्त्तव्यों को याद करना है। इन्हें समझना है और इन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है। संविधान दिवस की आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद। जय हिन्द।